

क्र. 221/2024

HMS - 2025/574
SDC

राजस्थान लेखा विवर

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नवलगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) निवाड़

- आदेश :-

08/09/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निवाड़ व भू.अ.नि. जायल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलगढ़ / नायब तहसीलदार की अनुरासा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम हाका कब्र तहसील नवलगढ़ व जिला सुजान की जमाबन्दी सम्वत् 2075/78 में खाता संख्या 32 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>हाका कब्र</u>	<u>32</u> <u>2075-78</u>	<u>शप्रखन पुत्र गान्या</u>	<u>शप्रखन सिंह पुत्र श्रीवारा</u>

उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर

संक्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार नवलगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शप्रखन सिंह पुत्र श्रीवारा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर